# न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :– पंकज गढ़वाल ( आर0ए0एस0 )
मिसल न0– 15 / 2017

अनवान :–

1. बनवारी पुत्र पतराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
2. प्रहलाद पुत्र हसंराज जाति नाई निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर

प्रार्थीगण

बनाम्

1. ज्यानी मोहम्मद पुत्र मंगतु जाति छिम्पा निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर
2. यासिन पुत्र मंगतु मंगतु जाति छिम्पा निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर
3. फजलदीन पुत्र मंगतु जाति छिम्पा निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर
4. छोटु पुत्र मंगतु जाति छिम्पा निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर
5. रोशनी पुत्री मंगतु जाति छिम्पा निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर
6. बिस्मिलाह पुत्री मंगतु जाति छिम्पा निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर
7. बिमला पुत्री मंगतु मंगतु जाति छिम्पा निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर

अप्रार्थीगण

8. जयसिह पुत्र पतराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
9. लालचन्द पुत्र पतराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
10. शिशपाल पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
11. रामनिवास पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
12. जगदीश पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
13. औमप्रकाश पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
14. सुभाष पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
15. निहालसिह पुत्र हसंराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
16. खिराज पुत्र हसंराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
17. महेन्द्रसिह पुत्र रामकुमार जाति नाई निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर
18. रोहिताश पुत्र साहबराम जाति नाई निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
19. दयाराम पुत्र साहबराम जाति नाई निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।

तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राज0
काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी, अधिवक्ता, प्रार्थी
श्री हवासिह पुनिया अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक : 20/02/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की रोही मौजा चक 11 बारानी के प0न0 390 / 464(340) के किला न0 1 / 0.2530 ,2 / 0.2530 ,3 / 0.2530 ,4 / 0.2530 ,5 / 0.2530 ,6 / 0.2530 ,7 ता 10 प्रत्येक 0.2530हैक कुल 2.5300हैक मय गै0मु0 रास्ता जो प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण संख्या 8 ता 9 खातेदार काश्तकार है तथा रोही मौजा चक 11 बारानी के खाता संख्या 451 / 439 प0न0 393 / 463 मु0न0 333 के किला न0 1 ता 25 की प्रत्येक 0.2530हैक कुल 6.3250हैक भूमि जो प्रार्थी संख्या 2 व तरतीबी प्र[illegible] खातेदार काश्तकार है।

रोही मोजा चक 11 बा[illegible] खाता संख्या 291 / 346 के प0न0 392 / 464(338) के कि[illegible] 0.2530हैक कुल 6.3250हैक भूमि जिसके अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थी संख्या 1 व तरतीबी अप्रार्थी[illegible] संख्या 8 ,9 का ए[illegible] रोही मौजा चक 11 बारानी के प0न0 394 / 464 (336) की कुल 2.6180हैक भूमि स्थित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.10 15:41:09 IST
Reason: SelfAttested

..1

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण संख्या 8 ता 19 अपने गांव सें उतर की तरफ चलकर अपने खेत में जाने के लिये स्वीकृतशुद्वा रास्ता जो कि रोही मौजा चक 11 बारानी के प0न0 364 से निरन्त 388 से 391 तक लगातार पश्चिम से पूर्व की तरफ पत्थर लाईन तक स्वीकृत है एव प्रार्थीगण को अपने खेत में जाने के लिए मु0न0 336 में जाने के लिए प्रार्थीगण मु0न0 338 के किला न0 1 ता 5 में सदामत से पश्चिम से पूर्व की चलकर आगे मु0न0 337 में स्वीकृतशु,ा रास्ता से अपने खेत मु0न0 336 में प्रवेश करते है

उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज न होने के कारण अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 ने प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण को अपने खेत में जाने वाले रास्ता को बन्द कर रखा है जिसके कारण प्रार्थीगण व इस रास्ते से गुजरने वाले काश्तकारों को परेशानी का सामना करना पड रहा है इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है इसलिये प्रार्थीगण उक्त रास्ता स्वीकत करवा पाने के अधिकारी है। प्राथीगण रास्ते में आने वाली भूमि के बदले में भूमि व डीएलसी दर से राशि देने को तैयार है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 11 बारानी के प0न0 392/464(338) के किला न0 1 ता 5 में पश्चिम से पूर्व की तरफ प्रत्येक किला में 2—2 बिश्वा रास्ता स्वीकृत फरमावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया अप्रार्थीगण संख्या 5 ता 7 को रजिस्टर सम्मन /नोटिस से तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की

सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र में गलत तथ्य अंकित किये गये है सायलान ने कभी भी मु0न0 338 के किला न0 1 ता 5 में से आवागमन नही किया गया है ना ही सुविधाजनक रास्ता है मनगढत तथ्य अंकित किये गये है सायलान व तरतीबी अप्रार्थीगण गांव से चलकर स्वीकृत रास्ता से होते हुए नहर की पटरी के रास्ता से होते हुए अपने खेत के मु0न0 336 में प्रवेश करते है यही रास्ता सबसे सुविधाजनक एव नजदीकी रास्ता है सायलान ने आपसी रंजिश की वजह से गैरसायलान को परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो चलने योग्य नही है सायलान व तरतीबी गेरसायलान को चक 11 बारानी के प0न0 394/464(336) में जाने के लिए पहले से एक रास्ता है जो सबसे नजदीकी एव सुविधाजनक रास्ता है दुसरा रास्ता स्वीकृत करवाने के अधिकारी नही प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

अप्रार्थीगण का जबाब शामिल मिसल किया जाकर तहसीलदार नोहर से मौका रिपोर्ट प्राप्त की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण संख्या 8 ता 19 अपने गांव से उतर की तरफ चलकर अपने खेत में जाने के लिये स्वीकृतशुद्वा रास्ता जो कि रोही मौजा चक 11 बारानी के प0न0 364 से निरन्त 388 से 391 तक लगातार पश्चिम से पूर्व की तरफ पत्थर लाईन तक स्वीकृत है एव प्रार्थीगण को अपने खेत में जाने के लिए मु0न0 336 में जाने के लिए प्रार्थीगण मु0न0 338 के किला न0 1 ता 5 में सदामत से पश्चिम से पूर्व की चलकर आगे मु0न0 337 में स्वीकृतशु,ा रास्ता से अपने खेत मु0न0 336 में प्रवेश करते है

उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज न होने के कारण अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 ने प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण को अपने खेत में जाने वाले रास्ता को बन्द कर रखा है जिसके कारण प्रार्थीगण व इस रास्ते से गुजरने वाले काश्तकारों को परेशानी का सामना करना पड रहा है इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.10 15:41:09 IST
Reason: SelfAttested



उपखण्ड अधिकारी
नोहर

इसलिये प्रार्थीगण उक्त रास्ता स्वीकत करवा पाने के अधिकारी है। प्राथीगण रास्ते में आने वाली भूमि के बदले में भूमि व डीएलसी दर से राशि देने को तैयार है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 11 बारानी के प0न0 392/464(338) के किला न0 1 ता 5 में पश्चिम से पूर्व की तरफ प्रत्येक किला में 2–2 बिश्वा रास्ता स्वीकृत फरमावे।

अप्रार्थीगण संख्या 1ता 4 के अधिवक्ता ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की प्रार्थना पत्र में गलत तथ्य अंकित किये गये है सायलान ने कभी भी मु0न0 338 के किला न0 1 ता 5 में से आवागमन नही किया गया है ना ही सुविधाजनक रास्ता है मनगढत तथ्य अंकित किये गये है सायलान व तरतीबी अप्रार्थीगण गांव से चलकर स्वीकृत रास्ता से होते हुए नहर की पटरी के रास्ता से होते हुए अपने खेत के मु0न0 336 में प्रवेश करते है यही रास्ता सबसे सुविधाजनक एव नजदीकी रास्ता है सायलान ने आपसी रंजिश की वजह से गैरसायलान को परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो चलने योग्य नही है सायलान व तरतीबी गेरसायलान को चक 11 बारानी के प0न0 394/464(336) में जाने के लिए पहले से एक रास्ता है जो सबसे नजदीकी एव सुविधाजनक रास्ता है दुसरा रास्ता स्वीकृत करवाने के अधिकारी नही प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार

रोही मौजा चक 11 बारानी के प0न0 390/464(340) के किला न0 1/0.2530 ,2/0.2530 ,3/0.2530 ,4/0.2530 ,5/0.2530 ,6/0.2530 ,7 ता 10 प्रत्येक 0. 2530हैक् कुल 2.5300हैक् मय गै0मु0 रास्ता जो प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण संख्या 8 ता 9 खातेदार काश्तकार है तथा रोही मौजा चक 11 बारानी के खाता संख्या 451/439 प0न0 393/463 मु0न0 333 के किला न0 1 ता 25 की प्रत्येक 0.2530हैक् कुल 6.3250हैक् भूमि जो प्रार्थी संख्या 2 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 10 ता 19 खातेदार काश्तकार है।

रोही मोजा चक 11 बारानी के खाता संख्या 291/346 के प0न0 392/464(338) के किला न0 1 ता 25 प्रत्येक की 0.2530हैक् कुल 6.3250हैक् भूमि जिसके अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थी संख्या 1 व तरतीबी अप्रार्थीगण संख्या 8 ,9 का एक खेत रोही मौजा चक 11 बारानी के प0न0 394/464 (336) की कुल 2.6180हैक् भूमि स्थित है।

प्रार्थीगण का कथन है कि रोही मौजा चक 11 बारानी की पत्थर लाईन 464 से निरन्त 3388 से 391 तक लागार पश्चिम से पूर्व रास्ता स्वीकृत है प्रार्थीगण के खेत मु0न0 336 में जाने के लिये अप्रार्थी की भूमि मु0न0 338 के किला न0 1 ता 5 में पश्चिम से पूर्व रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है अप्रार्थीगण का विरोध है कि प्रार्थीगण को नहर की पटरी से रास्ता पूर्व से उपलब्ध होने के कारण दुसरा रास्ता स्वीकृत करवाने के अधिकारी नही है उभयपक्षो के कथनों में से प्रार्थीगण का कथन स्वीकार योग्य है।

तहसीलदार नोहर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एंव नजरीय नक्शा के अनुसार प्रार्थीगण के खेत के निकटतम दुरी पर रोही मौजा चक 11 बारानी के प0न0 392/464 के किला न0 1 ता 5 कटानी रास्ता उपलब्ध है तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में पहुचने के लिये सुगम रास्ता रोही मौजा चक 11 बारानी के प0न0 392/464 मु0न0 338 के किला न0 1 ता 5 में है [illegible]

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र [illegible] जवाब प्रार्थना पत्र तहसीलदार नोहर के मौका रिपोर्ट नजरीय [illegible] प्रार्थीगण के द्वारा मु0न0 338 के किला न0 1 ता 5 में रास्ता चाहा गया है जो उ[illegible] है क्योकि उक्त किलो में रास्ता नही है उसके आगे एव उसके पिछे रास्ता स्वीकृत है मु0न0 338 के किला न0 1 ता 5 में

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.10 15:41:09 IST
Reason: SelfAttested



उपखण्ड अधिकारी
नोहर

रास्ता स्वीकृत होने से पहले से मु0न0 338 के आगे पिछे स्वीकृत रास्ता आपस में जुड जावेगे जिससे प्रार्थीगण एव तरतीबी अप्रार्थीगण एव अन्य काश्तकारो को आवागमन में सुविधा प्राप्त हो सकती है केवल मु0न0 338 के किला न0 1 ता 5 में रास्ता स्वीकृत करने से सीधा एव सुगम रास्ता आम काश्तकार के लिये उपलब्ध हो सकता है अप्रार्थीगण को कथन है कि नहर की पटरी से होकर प्रार्थीगण अपनी भूमि में पहुच सकते है यह रास्ता उपलब्ध नही होने पर वैकल्पिक मार्ग है सदामत के लिये उपयुक्त नही हो सकता है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण के द्वारा मु0न0 338 के किला न0 1 ता 5 में रास्ता चाहा गया है जो उचित है क्योकि मु0न0 338 के आगे एव पीछे के मुरब्बो मे रास्ता स्वीकृत है मु0न0 338 मे रास्ता स्वीकृत होने से सीधा एव सुगम रास्ता आम काश्तकार के लिये उपलब्ध हो सकता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों एवं तहसीलदार की मौका रिपोर्ट नजरीय नक्शा के अनुसार स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 11 बारानी के प0न0 392/464(338) के किला न0 1 ता 5 में पश्चिम से पूर्व की तरफ दो दो बिश्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा रास्ता में जितनी भूमि आती है उतनी भूमि प्रार्थीगण एव तरतीबी अप्रार्थीगण अपनी भूमि में से अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 की खातेदारी भूमि के चिपते हुए देगे इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे इसी आश्य का आदेश तहसीलदार नोहर को लिखा जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20/2/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**उपखण्डाधिकारी ( राजस्व )**
**नोहर (हनुमानगढ)**

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.10 15:41:09 IST
Reason: SelfAttested